संख्या—537/9—आ—3—2002—240काम्प/2001

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—3

लखनऊः दिनाँक : 8 फरवरी, 2002

विषय : सेलुलर मोबाइल सर्विसेज के प्रयोजनार्थ प्रदेश के विभिन्न विकास क्षेत्रों में कतिपय शर्तो के अधीन टावर निर्माण हेतु धारा—14/15 व उसके अधीन बनाये गये नियम—विनियम में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—3396/9—आ—3—97—100 वि0/1997 दिनांक 24 जनवरी, 1998 एवं विनियमित क्षेत्रों के लिए जारी समान अधिसूचना संख्या—65(11)/9—आ—3—2000—100 विविधि/97, दिनांक 27 फरवरी, 2000 का संदर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारासम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेश दि. 24 जनवरी, 1998 एवं तत्सम्बन्धी विनियमित क्षेत्रों के लिए निर्गत अधिसूचना दिनांक 27 फरवरी, 2000 में प्रदत्त सुविधायें समान शर्तों के अधीन बेसिक टेलीफोन सर्विस से सम्बन्धित निर्माण में भी पूर्व वर्णित शर्तो के अधीन प्रभावी होंगी।

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 24 फरवरी, 1998 एवं अधिसूचना दिनांक—27 फरवरी, 2000 को इस सीमा तक संशोधित मानी जायेंगी।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव।

संख्या :— 537(1)/9—आ—3—2002—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

4. आवास विभाग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग।

5. महानिदेशक, टेलीफोन्स भारत सरकार नई दिल्ली।

6. अपर निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

7. रिलायंस इन्फोकाम लि0–8–9 भूतल सरन चैम्बर, 11, 5 पार्क रोड, लखनऊ। 226001

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव।